

## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ) राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक/एफ14(Rail)/2016/एफसीए/प्रमुखसं/ 3085

दिनांक: 4.9.17

निमित्त : अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र पंचम तल, केन्द्रीय भवन सेक्टर एच  
अलीगंज, लखनउ।

विषय :- उदयपुर – अहमदाबाद रेलवे लाइन के गेज परिवर्तन बाबत 35.7823 हे० वन भूमि  
के प्रत्यावर्तन के क्रम में Online Proposal No. FP/RJ/Rail/20470/2016  
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 8B/Raj/07/15/2017/FC/240 दिनांक 30.8.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/उप वन संरक्षक /यूजर  
ऐजेन्सी से प्राप्त सूचना के आधार पर बिन्दुवार पालना निम्नानुसार प्रस्तुत है।

क्रमांक	आक्षेप का विवरण	पालना
1	वर्तमान में उपयोग में लाये जा रहे मीटरगेज रेलवे लाइन के गेज परिवर्तन के पश्चात पूर्व स्थापित रेलवे लाइन एवं संबंधित वन भूमि का उपयोग प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जावेगा अथवा नहीं। यदि वर्तमान मीटरगेज रेलवे लाइन में सम्महित वन भूमि का उपयोग आवश्यक नहीं रह जाता तो गेज परिवर्तन के उपरांत उपयोग में लाई जा रही वर्तमान वन भूमि का राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित किये जाने पर विचार कर सकता है।	वर्तमान में उपयोग में लाये जा रहे मीटरगेज रेलवे लाइन के गेज परिवर्तन के पश्चात पूर्व स्थापित रेलवे लाइन एवं संबंधित वन भूमि का उपयोग प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया नहीं किया जावेगा। इस हेतु यूजर ऐजेन्सी द्वारा अन्डरटेकिंग संलग्न है।

संलग्न : हार्ड प्रति 1 किता

भवदीय  
(ए० के० सिंह)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ०सी०ए०  
राजस्थान, जयपुर।

Tel: 0141-2713760 M - 9414045146

क्रमांक/एफ/सम

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव (वन ) शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
3. उप वन संरक्षक, उदयपुर/उदयपुर उत्तर
4. Dy. Chief Engineer, Construction I, NWR Udaipur

दिनांक/

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ०सी०ए०  
राजस्थान, जयपुर।



उत्तर पश्चिम रेलवे

कार्यालय  
उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण)  
उत्तर पश्चिम रेलवे, उदयपुर

पत्र संख्या. W-207/Const./UDZ/Land/Forest.(474459014)

दिनांक 01.09.2017

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण),  
वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया,  
जयपुर, राजस्थान ।

विषय: - उदयपुर - हिम्मतनगर रेलवे लाइन के गेज परिवर्तन बाबत 35.7823 हैक्टर वन भूमि का प्रत्यावर्तन ।


सन्दर्भ:- वन संरक्षक (केंद्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र संख्या 8-बी/राज./07/15/2017/एफ.सी./240 दिनांक 30.08.2017

\* \* \* \* \*

उपरोक्त के संदर्भ में, प्रस्ताव संख्या FP/RJ/RAIL/20470/2016 क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में प्रक्रियाधीन है जिसके अन्तर्गत उदयपुर जिले में 35.7823 हैक्टर वन भूमि का प्रत्यावर्तन उदयपुर - हिम्मतनगर आमान परिवर्तन कार्य के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के पक्ष में किया जाना अपेक्षित है । इस वन भूमि की आवश्यकता आमान परिवर्तन हेतु नया ट्रैक डालने के लिए है क्योंकि नये ब्रॉडगेज (बी.जी.) ट्रैक के लिए आवश्यक ढाल (Gradient) एवं वक्रता (Curvature) के अनुसार बी.जी. ट्रैक को स्थानांतरित संरेखण (diverted alignment) पर ले जाना पड़ेगा ।

उपरोक्त पत्र के माध्यम से यह पूछा गया है कि वर्तमान में उपयोग में लाये जा रहे मीटर गेज रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन के पश्चात् पूर्व स्थापित रेलवे लाइन एवं संबन्धित भूमि का उपयोग रेलवे द्वारा किया जायेगा अथवा नहीं । इस संबंध में निवेदन है कि वर्तमान में मीटर गेज का ट्रैक एवं अन्य Structures मूल संरेखण (Original alignment) पर मौजूद हैं जो कि रेलवे के अजमेर मण्डल के अन्तर्गत आते हैं । आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मीटर गेज लाइन से रिलीज (release) होने वाली भूमि के उपयोग के बारे में अजमेर मण्डल से विचार-विमर्श कर सहमति ली जायेगी । आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सम्भवतया मीटर गेज रेलवे लाइन में सन्निहित भूमि की आवश्यकता रेलवे को नहीं रहेगी, तब मौजूदा नियमों (Extant rules) के अनुसार निर्णय लेकर इस भूमि का प्रत्यावर्तन राज्य सरकार के पक्ष में करने की प्रक्रिया की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उत्तर पश्चिम रेलवे के उपरोक्त प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर सहमति प्रदान करने की कृपा करें ।

  
(विकास बूरा)

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण)  
उत्तर पश्चिम रेलवे, उदयपुर

Def (Fet)  
Bora  
2/9/2017